



**दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY**

No.P(R)381/P/GIS/Vol.VI

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office  
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch  
चेन्नै/Chennai - 600 003  
दि./ Dated: 17/02-2015

**आर बी ई सं/RBE No. 6 / 2015**

**पी बी सी सं/ PBC No: 8 / 2015**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /  
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,  
(As per mailing list -'A')

विषय/Sub:Central Government Employees Group Insurance Scheme,  
1980 – Tables of Benefits for the Savings Fund for the  
period from 01-01-2015 to 31-12-2015.

\*\*\*\*\*

A copy of Railway Board's letter No.PC-III/2000/GIS/2 dt.23-01-2015  
(RBE No. 6/2015) alongwith a copy of O.M. No. 7(1)EV/2014 dt. 22-01-2015  
issued by the Department of Expenditure under Ministry of Finance on the  
above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.



(V.SRINIVASAN)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम  
Senior Personnel Officer/Rules  
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी  
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU  
The Genl Secy / AISCSTREA  
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS

रेल बोर्ड का कार्यालय  
रेल बोर्ड (RAILWAY BOARD)  
GENERAL MANAGER

30 JAN 2015

दक्षिण रेलवे/Southern Railway  
चेन्नै/Chennai-600 003

RBE No. 6 /2015

No. PC-III/2000/GIS/2

New Delhi, dated 23.01.2015

The General Managers, Southern Railway, Chennai.  
All Indian Railways & PUs  
(As per mailing list).

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 – Tables of Benefits for the Savings Fund for the period from 1.1.2015 to 31.12.2015.

In continuation of this Ministry's letter No.PC-III/2000/GIS/2 dated 10.01.2014, a copy of O. M. No.7(1)/EV/2014 dated 22.01.2015 of the Ministry of Finance, Department of Expenditure on the above subject is forwarded herewith for information and necessary action.

DA: As above

  
(Vikram Gulati)  
Director, Pay Commission-II  
Railway Board

No.7(1)/EV/2014  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
\*\*\*\*\*

New Delhi, the 22<sup>nd</sup> January, 2015


**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 – Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01.01.2015 to 31.12.2015.**

.....

The undersigned is directed to refer to this Ministry's O.M. No.7 (1) EV/2013 dated 8<sup>th</sup> January, 2014 forwarding therewith Tables of Benefits under CGEGIS for the year 2014. New Tables of Benefits for the savings fund of the Scheme based on a subscription of Rs.10 per month from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 per month w.e.f. 1.1.1990 onwards have been prepared for the year 2015 and a copy of the table is enclosed. Another Table of Benefits for the savings fund based on a subscription of Rs.10 per month for those employees who had opted out of the revised rates of subscription w.e.f. 1.1.1990 have also been drawn up for the year 2015 and a copy of that table is also enclosed. The amounts in the Tables have been worked out on the basis of interest @ 10% per annum(compounded quarterly) for the period from 1.1.1982 to 31.12.1982, 11% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1983 to 31.12.1986, 12% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.1987 to 31.12.2000, 11% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2001 to 31.12.2001, 9.5% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2002 to 31.12.2002, 9.0% per annum(compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2003 to 31.12.2003, 8% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.1.2004 to 30.11.2011, 8.6% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.12.2011 to 31.03.2012, 8.8% per annum (compounded quarterly) w.e.f. 1.04.2012 to 31.03.2013 and 8.7 % per annum (compounded quarterly) w.e.f. 01.04.2013 onwards. The mortality rate under the Scheme has been taken as 3.75 per thousand per annum up to 31.12.1987 and 3.60 per thousand per annum thereafter in both the cases. While calculating the amount it has been assumed that the subscription has been recovered or will be recovered from the salary of the month in which a member ceases to be in service failing which it should be deducted from accumulated amounts payable.

2. In its application to the employees of Indian Audit and Accounts Department this Office Memorandum issues in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

  
(VIJAY KUMAR SINGH)  
DIRECTOR





भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

रे.बो.स्था. सं. 6 /2015

संख्या पी.सी.-111/2000/जी.आई.एस./2


दिनांक 23.01.2015

महाप्रबंधक  
सभी भारतीय रेलें एवं  
उत्पादन इकाईयाँ

विषय: केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980, दिनांक 01.01.2015  
से 31.12.2015 तक की अवधि की बचत निधियों के लिये लाभों की सारणी।

इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.01.2014 के क्रम में, वित्त मंत्रालय, व्यय  
विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1)/EV/2014 दिनांक 22.01.2015 की प्रति उपरोक्त  
विषय पर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्त

  
( विक्रम गुलाटी )  
निदेशक, वेतन आयोग-11  
रेलवे बोर्ड

सं. 7(1)/ई-V/2014

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2015

### कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना -1980 - दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सारणी।

मुझे इस मंत्रालय के 8 जनवरी, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(1)/ई-V/2013 का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जिसके साथ वर्ष 2014 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत लाभों की सारणी भेजी गई थी। दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10% रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15% रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित स्कीम की बचत निधि के वर्ष 2015 के लिए लाभों की नई सारणियां तैयार कर ली गई हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने दिनांक 01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था, 10 रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित बचत निधि के लाभों की एक और सारणी वर्ष 2015 के लिए तैयार कर ली गई है और उसकी भी एक प्रति संलग्न है। सारणियों में धनराशि की गणना दिनांक 01.01.1982 से 31.12.1982 की अवधि के लिए 10% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), दिनांक 01.01.1983 से 31.12.1986 की अवधि के लिए 11% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), दिनांक 01.01.1987 से 31.12.2000 की अवधि के लिए 12% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), दिनांक 01.01.2001 से 31.12.2001 की अवधि के लिए 11% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), दिनांक 01.01.2002 से 31.12.2002 की अवधि के लिए 9.5% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), दिनांक 01.01.2003 से 31.12.2003 की अवधि के लिए 9% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), दिनांक 01.01.2004 से 30.11.2011 तक 8% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), दिनांक 01.12.2011 से 31.03.2012 तक 8.6% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि), 01.04.2012 से 31.03.2013 तक 8.8% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) और 01.04.2013 से 8.7% (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) की वार्षिक व्याज दर के आधार पर की गई है। स्कीम के तहत दोनों मामलों में मृत्यु दर 31.12.1987 तक 3.75 प्रति हजार प्रतिवर्ष तथा उसके बाद 3.60 प्रति हजार प्रतिवर्ष मानी गई है। धनराशि की गणना करते समय यह माना गया है कि अंशदान की वसूली हो चुकी है अथवा सदस्य की सेवा समाप्ति के महीने के वेतन से यह वसूल कर ली जाएगी और ऐसा न हो पाने की स्थिति में इसे देय संचित धनराशि में से काट लिया जाना चाहिए।

2. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इसके लागू होने का संबंध है, यह कार्यालय ज्ञापन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

*विजय सिंह*

(विजय कुमार सिंह)

निदेशक

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ (मानक सूची के अनुसार)।

एनआईसी, व्यय विभाग को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के लिए।